Remove Watermark Now

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 285/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1–बजरंगलाल पुत्र रामनारायण 2–अनिलकुमार पुत्र सम्पतलाल 3–लीला बेवा सम्पतलाल 4–जयकिशन पुत्र रामनारायण सभी जातियान ब्राह्मण निवासीगण चाडी तहसील बापिणी, जिला जोधपुर 5–दीपाराम पुत्र लाभूराम 6–भैराराम पुत्र लाभूराम 7–लाखाराम पुत्र लाभूराम 8–विरमाराम पुत्र लाभूराम 9–हरीराम पुत्र लाभूराम 10–दली पत्नी लाभूराम 11–सोहनलाल पुत्र गोमदराम 12–मीरा पत्नी गोमदराम 13–कुशलाराम पुत्र मगाराम 14–तुलसाराम पुत्र माधुराम सभी जातियान कुम्हार निवासीगण चाडी तहसील बापिणी, जिला जोधपुर 15–मोहनकंवर पत्नी रामसिह जाति राजपूत निवासी चाडी तहसील बापिणी जिला जोधपुर		1–अलसाराम पुत्र अखाराम 2–अचलाराम पुत्र अखाराम दोनो जातियान मेघवाल निवासीगण चाडी तहसील बापिणी जिला जोधपुर 3–तहसीलदार बापिणी

pdfelement

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–6–2016 जो उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा मुकदमा संख्या 124/2016 अनवान अलसाराम वगैरा बनाम तहसीलदार फलोदी मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री गुलाब सिह चंपावत अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से ।
2– श्री शिवलाल बरवड रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से ।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 13–12–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि ग्राम चाडी तहसील फलोदी स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी खेत खसरा नंबर 2185 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 2185/1 रकबा 14 बीघा 19 बिस्वा तथा खसरा नंबर 2185/2 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा कुल 44 बीघा 10 बिस्वा भूमि की पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेशिका दिनांक 13–5–16 के जरिये प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन

Remove Watermark Now

तलब करने के आदेश पारित किये तथा प्रार्थना पत्र के पुश्त पर ही नायब तहसीलदार आऊ से रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–6–2016 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए नायब तहसीलदार आऊ को अपीलाधीन भूमि की पत्थरगढी सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 18–5–2015 के अनुसार संबंधित पडौसी खातेदारो की उपस्थिति मे करने के आदेश पारित किये गये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया जो आदेशिका दिनांक 13–5–2016 के जरिये दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को जरिये सम्मन तलब करने के आदेश किये तथा पत्रावली आयंदा दिनांक 24–6–2016 को मुकर्रर की परंतु दिनांक 24–6–2016 को कोई आदेशिका ड्रॉ नही की गई तथा पत्रावली सीधे दिनांक 27–6–2016 को पत्रावली लोक अदालत केम्प रीडमलसर मे रखते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की पुश्त पर ही नायब तहसीलदार आऊ की रिपोर्ट चाही गई जिसमे स्पष्ट उल्लेख किया है कि पडौसियो को सुनवाई का अवसर देकर निर्णय दिया जाता है तो भूमिधारी नायब तहसीलदार को कोई आपत्ति नही होने की टिप्पणी होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने पडौसियान खातेदारो को नोटिस जारी किये बिना तथा उनको सुने बिना जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो पूर्णतया प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे सभी पडौसी खातेदारान को पक्षकार ही नही बनाया, केवल मात्र तहसीलदार फलोदी को ही पक्षकार बनाया जबकि विधिवत पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र मे समस्त पडौसी खातेदारो को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पार्थना पत्र आदेश 1 नियम 9 सीपीसी मिस ज्युवाईन्डर ऑफ पार्टी के आधार पर खारीज योग्य था इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 18–7–2015 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट सर्वे नक्शे के आधार पर सीमाज्ञान नही किया गया है न ही पडौसी खातेदारान की उपस्थिति मे तैयार की गई है इसलिए एकतरफा तैयार की गई

pdfelement

Remove Watermark Now

सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–6–2016 को ही पारित कर दिया था परंतु उक्त आदेश पारित होने के 2 वर्ष पश्चात उक्त आदेश की पालना दिनांक 17–7–2018 को बिना पडौसी खातेदारो को सुनवाई का अवसर दिये की गई इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं न्यायसंगत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार बनाये बिना प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित किया गया है तथा अपीलांट अपीलाधीन आदेश से प्रभावित होने से अपीलांट ने यह अपील धारा 96 सी.पी.सी.का प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है तथा अपीलाधीन आदेश अपीलांट की अनुपस्थिति मे पारित किया हुआ होने से अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय पर नही हो सकने के कारण अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है । उक्त दोनो प्रार्थना पत्रो को स्वीकार करते हुए अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–6–2016 को निरस्त करने का निवेदन किया । वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आर.आर.डी. 2017 पेज 289, आर.आर.टी. 2009 (2) पेज 931, आर.आर.टी. 2012 (1) पेज 137 एवं आर.आर.टी. 2011 (1) पेज 603 की निर्णय नजीरे पेश की ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार नही होने से अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के विरूद्ध अपील पेश करने का अधिकार नही होने से अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अपीलााधिन आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 के तहत पारित किया है इसलिए लोक अदालत मे पारित आदेश की अपील चलने योग्य नही होने से खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे मौका पैमाईश फर्द दिनांक 18–7–15 प्रस्तुत की गई जिसमे पडौसी खातेदारान के हस्ताक्षर है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया । अंत मे वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, आदेशिकाओं तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–6–2016 का अवलोकन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के समर्थन मे प्रस्तुत निर्णय नजीरो का भी गौरपूर्वक अध्ययन किया ।

Remove Watermark Now

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अपील मे वर्णित अपने खातेदारी की भूमि पत्थरगढी करवाने के लिए अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमे केवल तहसीलदार फलोदी को ही पक्षकार बनाया जबकि प्रार्थना पत्र मे वर्णित खसरा नंबरान की भूमि के पडौसी खातेदारान को पक्षकार बनाया जाकर उन्हे सुनवाई का अवसर दिया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना न्यायसंगत था ।

अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांटगण को पक्षकार बनाये बिना धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 27–6–2016 पारित किया है, उक्त अपीलाधीन आदेश मे वर्णित भूमि के अपीलांट पडौसी खातेदार होने से वे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रभावित पक्षकार होने से अपील के साथ प्रस्तुत धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार नही होने से उसे अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय पर नही हुई तथा जैसे ही अपीलाधीन आदेश की पालना हुई तथा अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश की जानकारी होते ही यह अपील धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है अतः अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही का अवलोकन करने पर यह प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे केवल तहसीलदार को ही पक्षकार बनाया है जबकि पत्थरगढी के आदेश पारित करने से पूर्व पडौसी खातेदारो को नोटिस जारी कर उन्हे सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी प्रावधान को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र की पुश्त पर ही नायब तहसीलदार आऊ की रिपोर्ट ली गई जिसमे स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि पडोसियान को सुनवाई का अवसर देकर निर्णय दिया जाता है तो भूमिधारी उप तहसीलदर आऊ को कोई एतराज नही है । परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त टिप्पणी को भी नजरअंदाज करते हुए तथा अपीलाधीन भूमि के पडौसी खातेदारो को नोटिस जारी कर उन्हे सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–6–2016 निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे वर्णित खसरा नंबरान के सभी पडौसी खातेदारान को पक्षकार बनाया जाकर उनकी उपस्थिति मे सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार की

Remove Watermark Now

जाये तत्पश्चात अपीलाधीन भूमि की पत्थरगढी समस्त पडौसी खातेदारान को सुनवाई का अवसर देकर उनकी उपस्थिति मे पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करे ।

निर्णय आज दिनांक 13–12–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

pdfelement

Signature Not Verified
Digitally signed by Aslam Mehar
Date: 2019.12.20 14:21:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: